

FROM NO. III

फॉर्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम झुंगला जिला विरतौडगढ़

बनाम

किरम मुकदमा- पत्थरगढ़ी नं. सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की लम्बिका की लम्बिका में जारी हुवा
23.2.2023	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>पटवार गिरिजापती</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो वाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>साक्ष्य विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>सोमलिया पीला</u> पटवार मण्डल <u>सोमलिया पीला</u> तहसील झुंगला की आराजी नम्बर <u>127</u> रकबा <u>0.1220</u> हेक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिरफा कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आयें दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी करवाई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, वहसा सुनी गई। प्रार्थी जैर वहसा आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार झुंगला को <u>1000/-</u> अक्षर <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में देखल दिये मौजा <u>सोमलिया पीला</u> पटवार मण्डल <u>सोमलिया पीला</u> तहसील झुंगला की आराजी नम्बर <u>127</u></p> <p>रकबा <u>0.2920</u> हे0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकममल तौर पर की जावे।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>02/11/22</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फेराल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
झुंगला

